न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 173/22 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2022/322

अनवान

1. श्री जगदीश पिता भेरा जी जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

......................प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजमल पिता हिरालाल जी जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता हिरालाल जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती लहरीबाई पत्नी हिरालाल जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती लीला पुत्री हिरालाल जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री मोहन पिता भेरा जी जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

......................विपक्षी

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 22.08.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस [illegible] हल्का खेरोदा भू अभिलेख निरीक्षक खेरोदा तहसील [illegible] में साबि[illegible]जी न. 316, 490, 1770, 1780, 2086 किता 5 रकबा 1[illegible] बीघा 6 बिस्वा भूमि [illegible]कर – –श्री हिरालाल मु. सुखा 1/2, उदा. भेरा पिता तारू 1/2 हि.ब. सा.देह के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार हक से अंकित थी जो खातेदार उदा पिता तारू एवं भेरा पिता ... के मध्य दिनांक 04.11.1993 को न्यायालय डिक्री से उदा पिता तारू के ... आराजी न. 316/1, 490/1, 1770/1, 2086/1 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा भूमि भेरा पिता तारू जणवा के नाम पर आराजी न. 316/2, 490/2, 1770/2, 2086/2 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा भूमि तथा हीरा मु. सुखा के नाम पर आराजी न. 316/... 490/3, 1170/3, 2086/3 रकबा 5 बिघा 2 बिस्वा के रूप में सृजित हुई तब बंटवाडे से प्राप्त हुई उक्त आराजी का उपरोक्तानुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है।

2. यह कि न्यायालय आदेश दिनांक 28.12.2010 की डिक्री अनुसार कलम न. 1 में वर्णित खातेदार भेरा पिता तारू जी जणवा के बजाय जगदीश पिता भेरा 1/3, मोहनलाल पिता भेरा 1/3, भेरा पिता तारू 1/3 जणवा सा. देह के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। तत्पश्चात् भेरा पिता तारू द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र 1/3 हिस्सा से प्रार्थी जगदीश पिता भेरा के पक्ष मे अन्तरित कर दी तब से भेरा पिता तारू का उक्त जायदाद में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। यह कि साबिक आराजी न. 1770/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि जिसके नवीन सेटलमेंट में आराजी नं. 4357 रकबा 0.0500 भूमि सृजित हुए इसी तरह साबिक आराजी न. 1770/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि जिसके नवीन सेटलमेंट में आराजी न. 4358 रकबा 0.100 है. सृजित हुए जो इस प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित की जायेगी।

3. यह कि वादग्रस्त भूमि के हाल ही हूए सेटलमेंट वन्दोबस्त में नवीन खसरा न. 4357 रकबा 0.0500 है. कायम करते हूए जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में जगदीश लाल पिता भेरा 2/3 मोहनलाल पुत्र भेरा 1/3 के नाम सा. देह खातेदार से अंकित कर दी जबकि खसरा न. 4357 रकबा 0.0500 है. संपूर्ण भूमि विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी तथा आराजी न. 4358 रकबा 0.1000 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम पर एवं 1/3 हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम पर दर्ज होनी ... 1/2 हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

नाम पर अंकित होनी चाहिये थी जबकि सेटलमेंट वालों को पुर्व की जमाबंदी की एन्ट्री को यथावत दोहरानी थी लेकिन सेवन से आराजी न 4357 रकबा 0.0500 है भूमि मे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या का नाम अंकित कर दिया गया एवं आराजी न 4358 रकबा 0.1000 मे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 5 का हिस्सा अंकित नही किया गया है। इस प्रकार सहवन से हुई गलती को इन्द्राज दुरूस्ती के माध्यम से सही किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के साबिक राजस्व नक्शे अनुसार नवीन नक्शे को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 से 5 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खेरोदा में स्थित साबिक आराजी न. 316, 490, 1770, 1780, 2086 किता 05 रकबा 10 बिघा 06 बिस्वा भूमि श्री हिरालाल मुतबन्ना सुखा 1/2 एवं उदा भेरा पिता तारू 1/2 हि.ब. सा.देह के नाम पर खातेदारी हक से अंकित थी यह कथन स्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन गलत होकर अस्वीकार है कि दिनांक 04.11.1993 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री उदा पिता तारू एवं भेरा पिता तारू श्री हिरालाल मुतबन्ना सुखा जणवा का नाम भी सम्मिलित था, जिसका प्रार्थी को भी अच्छी तरह से ज्ञान है फिर भी प्रार्थी ने जान बूझ कर बदनीयती के चलते झूठा कथन किया है। माननीय न्यायालय से दिनांक 04.11.1993 से जारी की गई डिक्री से आराजी न. 316/1, 490/1, 1170/1, 2086/1 कुल किता 4 रकबा 02 बिघा 11 बिस्वा भूमि उदा पिता तारू जणवा के नाम पर दर्ज हुई। आराजी न. 316/2, 490/2, 1770/2, 2086/2 रकबा 02 बिघा 11 बिस्वा भूमि भेरा पिता तारू जणवा के नाम पर दर्ज हुई। आराजी न. 316/3, 490/3, 1770/3, 2086/3 रकबा 05 बिघा 02 बिस्वा हिरालाल मुतबना सुखा जणवा के नाम पर दर्ज हुई है। यह कि इसके बाद भेरा पिता तारू जणवा के नाम पर दर्ज भूमि मे जगदीश पिता भेरा 1/3, मोहनलाल पिता भेरा 1/3 एवं भेरा पिता तारू 1/3 जणवा सा. देह का अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

हुआ एवं इसके बाद भेरा पिता तारू का 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम ... जिसमें भेरा पिता तारू जणवा की भूमि में 2/3 हिस्सा प्रार्थी जगदीश के नाम हो गया एवं 1/3 हिस्सा मोहनलाल के नाम पर रहा।

5 यह कि साबिक आराजी न. 1770/2 रकबा 05 बिस्वा भूमि के नवीन सेटलमेंट आराजी न. 4357 रकबा 0.0500 है. दर्ज किये गये जिसमें 2/3 हिस्सा प्रार्थी पर एवं 1/3 हिस्सा मोहनलाल पुत्र भेरा के नाम पर दर्ज हुआ है। इसी तरह आराजी न. 1770/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि के नवीन सेटलमेंट के बाद आरा 4358 रकबा 0.1000 है. दर्ज किये गये है जो विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर बराबर से दर्ज हुआ है जो पूरी तरह से सही है। यह कि वर्णित नवीन आराजी 4357 रककबा 0.0500 है. भूमि के गत आराजी न. 1770/2 रकबा 05 बिस्वा जिसमें प्रार्थी का 2/3 हिस्सा एवं मोहनलाल पुत्र भेरा का 1/3 हिस्सा था, जि नवीन आराजी न. 4357 रकबा 0.0500 है. भूमि प्रार्थी जगदीश के नाम पर 2/ हिस्सा एवं मोहनलला पुत्र भेरा के नाम पर 1/3 हिस्सा पूरी तरह से सही दर्ज हु है एवं यह भूमि किसी भी तरह से विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज होने योग्य नहीं है। इसी तरह प्रार्थना पत्र की कलम न. 3 में वर्णित नवीन आराजी न. 435 रकबा 0.1000 है. भूमि के गत आराजी न. 1770/3 रकबा 10 बिस्वा थे, जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 4 का समान रूप से 1/4 हिस्से अनुसार हिस्सा था। जिससे नवीन आराजी न. 4358 रकबा 0.1000 है. भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 4 नाम पर समान रूप से 1/4 हिस्सा पूरी तरह से सही दर्ज हुआ है एवं यह भूमि किसी भी तरह से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम पर दर्ज होने योग्य नहीं है। वर्णित नवीन आराजी न. की भूमि का किसी भी तरह से नक्शे में गलत तरमीम नहीं हुआ है साथ ही विशेष कथन में निवेदन किया है कि प्रार्थी स्वयं ने ... को पूरी तरह से स्पष्ट कर रखा है कि न्यायालय की डिक्री से आराजी न. 177... रकबा ... बिस्वा भूमि भेरा पिता तारू जणवा के नाम पर दर्ज हुई ... न्यायालय डिक्री से जगदीश पिता भेरा 1/3, मोहनलाल पिता भेरा 1/3, भेरा पिता तारू 1/3 जणवा सा. देह के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

हुई एवं इसके बाद मेरा पिता तारू द्वारा 1/3, मेरा पिता तारू 1/3 जणवा सा. देह के नाम दर्ज हुई एवं इसके बाद मेरा पिता तारू द्वारा 1/3 हिस्सा प्रार्थी जगदीश के पक्ष में अंतरित कर दिया जिससे इस आराजी में प्रार्थी जगदीश का 2/3 हिस्सा एवं मोहनलाल पिता भेरा का 1/3 हिस्सा हुआ, साथ ही प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट कर रखा है कि उपरोक्त साबिक आराजी न 1770/2 रकबा 2 रकबा 05 बिस्वा भूमि के ही नवीन सेटलमेंट में आराजी न 4357 रकबा 0.0500 है. सृजित हुए है, जिसमें प्रार्थी जगदीश के नाम पर 2/3 हिस्सा एवं मोहनलाल पिता भेरा के नाम पर 1/3 हिस्सा दर्ज है। यह कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी स्वयं ने इस बात को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर रखा है कि आराजी न 1770/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि न्यायालय की डिक्री से हिरा मुतबन्ना सुखा के नाम पर दर्ज हुई है एवं उपरोक्त साबिक आराजी न. 1770/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि के ही नवीन सेटलमेंट में आराजी न. 4358 रकबा 0.1000 है. सृजित हुए है जो हिरा मुतबन्ना सुखा के विधिक वारिस विपक्षी संख्या 1 से 4 तक के नाम पर ही हिस्से बराबर से दर्ज है। यह कि इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार ही यह पूरी तरह से साबित है कि नवीन आराजी न. 1770/2 रकबा 0.0500 है. प्रार्थी जगदीश एवं मोहनलाल पिता भेरा की होकर इनके नाम पर सही रूप से दर्ज है एवं नवीन आराजी न. 1770/3 रकबा 0.1000 है. विपक्षी संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर पूरी तरह से सही दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेरोदा की गत जमाबंदी संवत् 2050–53 के खाता नं. 425 खसरा नं. 1770/2 रकबा 0.05 बिघा खातेदार भेरा पिता तारू जणवा सा. देह के नाम से है। रेकर्ड थी। साबीक खसरा न. 1770/2 रकबा 0.05 बिघा का नवीन खसरा न. 4357 बने है। यह कि गत राजस्व रेकर्ड नक्शे के मुकाबले नवीन राजस्व रेकर्ड नक्शे में 4357 की तरमीम सहवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

से भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा गलत होने से प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में ... करने हेतु किया गया जिसको दुरस्त कर नक्शा ट्रेस संलग्न किया गया है।

7. यह कि नवीन आ.स. 4357 रकबा 0.05 है वर्तमान में भेरा पिता ... वारिसान जगदीश पिता भेरा 1/2 मोहनलाल पिता भेरा 1/2 जाति जणवा ... के नाम से दर्ज रेकर्ड है। यह कि गत जमाबंदी संवत् 2050–53 के खसरा 1770/3 रकबा 0.10 बिघा, हीरालाल मु. सुखा जणवा सा. देह के नाम से दर्ज थी, जिनके नवीन आ.स. 4358 रकबा 0.10 है. 4359 रकबा 0.02 है. हीरालाल वारिसान राजमल, लक्ष्मीलाल, लीला पिता हीरालाल, लेहरीबाई पत्नी हीरालाल के ... से दर्ज रेकर्ड है।

8. यह कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शे में नवीन आ.न. 4357 व 4358 की गलत तरमीम होने से नक्शे में शुद्धि कर प्रति संलग्न है। जिसमें प्रस्तावति नक्शें में खसरा 4358/1 रकबा 0.05 है खातेदार जगदीश पिता भेरा 1/2, मोहनलाल पिता भेरा 1/2 जाति जणवा सा. देह के नाम से प्रस्तावित की है एवं खसरा सं. 4358 मी. रकबा 0.05 है. एवं खसरा 4357 रकबा 0.05 है. खातेदार राजमल, लक्ष्मीलाल, लीला पिता हीरालाल, लेहरीबाई पत्नी हीरालाल जणवा सा. देह के नाम से दर्ज कर प्रस्तावित की है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा नवीन व संशोधित प्रविष्टियां प्रस्तावित की गई है जिसके अनुसार ख.न. 4358/1 रकबा 0.05 है. खातेदार जगदीश पिता भेरा 1/2 मोहनलाल पिता भेरा 1/2 जाति जणवा सा. देह के नाम तथा ख.न. 4358 मी. रकबा 0.05 है. एवं ख.न. 4357 रकबा 0.05 है. खातेदार राजमल, लक्ष्मीलाल, लीला पिता हीरालाल, लेहरीबाई पत्नी हीरालाल जणवा सा. देह के नाम से प्रस्तावित की गई साथ ही नक्शा ट्रेस प्रस्तावित किया गया।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान [illegible] गया। [illegible] द्वारा अपनी बहस में में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। हमने अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की बहस व अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। हमने पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि साविक आराजी न. 1770/2 के नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 4357 रकबा 0.0500 है. कायम करते हुये जगदीश लाल पिता भेरा 2/3, मोहनलाल पुत्र भेरा 1/3, के नाम अंकित कर दी जबकि खसरा न 4357 रकबा 0.0500 है. सम्पूर्ण भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज होनी चाहिये थी तथा साविक आराजी न. 1770/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि के नवीन सेटलमेंट आराजी न. 4358 रकबा 0.0100 है. बने जिसमें से 1/2 हिस्सा भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम एवं 1/3 हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम एवं शेष 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के नाम अंकित होनी चाहिये थी जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा आराजी न. 4357 में प्रार्थी एवं विपक्षी का नाम अंकित कर दिया एवं आराजी न. 4358 में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 5 का हिस्सा अंकित नहीं किया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन किया। इस संबंध में जब हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पाते है कि साविक आराजी न. 1770/2 के नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 4357 बने जो नवीन राजस्व नक्शा ट्रेस में गत साबिक आराजी न. 1770/2 के बजाय भिन्न स्थान पर तरमीम किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि गत राजस्व रेकर्ड नक्शे के मुकाबले नवीन राजस्व रेकर्ड नक्शे में 4357 की तरमीम सहवन से भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा गलत की है साथ ही स्पष्ट किया है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शे में नवीन आ.न. 4357 व 4358 की गलत तररमीम होने से नक्शे में शुद्धि कर प्रति संलग्न है जिससे तहसीलदार भीण्डर द्वारा खसरा सं. 4358/1 रकबा 0.05 है खातेदार जगदीश पिता भेरा 1/2, मोहनलाल पिता भेरा 1/2 जाति जणवा सा. देह के नाम से प्रस्तावित की है एवं [illegible] 0.05 है. एवं खसरा 4357 रकबा 0.05 है. खातेदार राजम[illegible] लेहरीबाई पत्नी हीरालाल जणवा सा. देह के [illegible] किया तथा प्रस्तावित नक्शा [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

10 अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ... आराजीयात की तरमीम में साबिक आराजी के बजाय परिवर्तन कर दिया ... न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में ... किया जाता है।

—:: आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधि... का स्वीकार किया जाता है कि मोजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील ... जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सम्वत् 2078–81 के आराजी न. 4357 रकबा 0.0... है. व आराजी न. 4358 रकबा 0.1000 है. भूमि को संशोधित करते हुये आराजी 4358/1 रकबा 0.0500 है. जगदीश लाल पुत्र भेरा 1/2, मोहनलाल पुत्र भेरा 1/... जाति जणवा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज किये जाने व आराजी न. 4358 मी. रक... 0.0500 है. व आराजी न. 4357 रकबा 0.0500 है. भूमि (विपक्षी संख्या 1 से 4) राजमल पुत्र हीरालाल जाति जणवा हिस्सा 1/4, लक्ष्मीलाल पुत्र हिरालाल जाति जणवा हिस्सा 1/4, लेहरीबाई पत्नी हीरालाल जाति जणवा हिस्सा 1/4, लीला पुत्री हीरालाल जाति जणवा हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested